

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

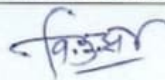
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 31.10.2023

अ.सं.-संब0-6032/2023-733 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-30.10.2023 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Institute	District	Course	No. of Seat
1	2	3	4	5
1	AIHE Professional Institute	Patna	ANM	60
			GNM	60
2	Akash Nursing Institute	Buxar	ANM	60
3	Ambedkar College of Education	Rohtas	ANM	60
			GNM	60
4	Ambedkar Institute of Education	Rohtas	ANM	60
5	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	ANM	60
			GNM	60
6	Aryaman College of Higher Studies	Vaishali	ANM	120
7	Aryaman Higher Education	Nalanda	ANM	60
8	Ashoka Nursing & Paramedical College	Nalanda	GNM	50
			ANM	60
9	Baba Rajaram College of Education	Lakhisarai	GNM	50
10	Basudeo Institute of Nursing Science	Patna	ANM	60
11	Best Nursing Institute	Buxar	GNM	50
12	Buddha Institute of Health Education	Nalanda	ANM	40
13	Children Nursing and Paramedical Institute	Samastipur	ANM	60
			GNM	60
14	Daksh School of Nursing and Hospital	Siwan	GNM	60
			ANM	60
15	Darbhang Nursing School	Darbhang	GNM	60
			ANM	40
16	Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education	Muzaffarpur	GNM	60
17	Dhanarua School of Nursing & Paramedical	Patna	ANM	60
			GNM	60
18	Dhano Devi A.N.M. Nursing Training School	Jehanabad	ANM	40
19	Dhano Devi Higher Education, G.N.M. School	Jehanabad	GNM	40



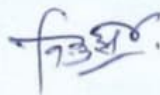
20	Doon Institute of Nursing ANM Training School	Muzaffarpur	ANM	60
21	Dr. Nesar Haider Institute of Nursing Sciences	Madhubani	GNM	45
			ANM	20
22	D.P.Singh Institute of Education	Nalanda	GNM	60
			ANM	60
23	Gangotri Nursing Institute	Aurangabad	ANM	60
			GNM	60
24	Gautam Institute of Nursing	Nalanda	ANM	60
			GNM	60
25	Gautam Institute of Nursing and Paramedics	Nalanda	GNM	60
			ANM	50
26	Guro Binda College (Nursing)	Nawada	GNM	60
27	Gyansarover Vidyapeeth	Patna	ANM	55
28	Himalaya College of Nursing	Patna	ANM	100
			GNM	100
29	Himalaya Institute of Higher Education	Patna	ANM	100
			GNM	100
30	Hirawati ANM Nursing School	Vaishali	ANM	40
31	K. R. Nursing College & Hospital	Chapra	GNM	60
32	Katihar ANM Nursing Training School	Katihar	ANM	60
			GNM	60
33	Kedarnath Institute	Bhagalpur	ANM	100
			GNM	100
34	Kingway Technical Institute (College of Nursing)	Kaimur	GNM	60
35	Krishna Institute of Higher Education	Madhepura	ANM	60
			GNM	60
36	Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences	Samastipur	ANM	60
			GNM	60
37	L.T. GNM Nursing Institute	Bhojpur	GNM	60
38	Leader Institute of Higher Education	Samastipur	ANM	60
39	Life Line Nursing & Paramedical College	Kaimur	ANM	60
40	Maa Kanti School of Nursing	Patna	GNM	50
41	Maa Mundeshwari Para Medical & Nursing Training Sansthan	Kaimur	ANM	50
42	Maa Tara Institute of Technical Education	Patna	GNM	60
			ANM	60
43	Maa Tarachandi Institute	Rohtas	GNM	60
44	Mamta Institute of Education	Siwan	GNM	60
45	Medical Training Sansthan	Buxar	GNM	45
46	MGM College of Nursing and Paramedical	Patna	GNM	60
			ANM	60
47	Modern Institute of Nursing	Banka	ANM	60
48	National Institute of Health Education and Research	Patna	ANM	50
			GNM	60
49	National Institute of Nursing and Paramedical Science	Nalanda	GNM	60
50	Nawada College of Nursing	Nawada	ANM	60

9.3.21

79	Vidya College of Professional Studies (ANM)	Patna	ANM	60
80	Yogendra Institute of Nursing	Bhojpur	ANM	60
81	Yogendra Institute of Nursing Training	Bhojpur	ANM	60
			GNM	60

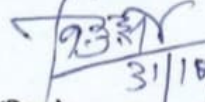
नियम एवं शर्तें:-

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2023-24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।



10. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार


31/10/2023

(विमलेश कुमार झा)

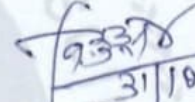
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-733/

पटना, दिनांक 31/10/2023

प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


31/10/2023

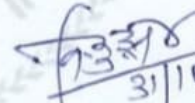
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-733/

पटना, दिनांक 31/10/2023

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


31/10/2023

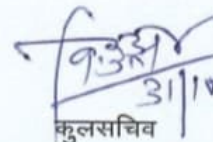
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-733/

पटना, दिनांक 31/10/2023

प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


31/10/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना